

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : राजपत्रित/एटी/प035/2017/135

दिनांक : 19/04/2017

—: आदेश :—

शासन संयुक्त सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक प.1(1)/चि.रं.सा./ग्रुप-2/2014 दिनांक 04/10/14 के अनुसरण में राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम-1963 के नियम 26 में उपलब्ध प्रावधानों के अन्तर्गत वॉक-एण्ड-इन्टरव्यू द्वारा चयन समिति की सिफारिश पर आवश्यक तदर्थ आधार (Urgent Temporary Basis) पर चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थी का अनुमोदन एतद् द्वारा किया जाता है :-

क्र. सं.	जिला	चिकित्सक का नाम व पता	जन्मतिथि	वर्ग	लिंग	पदस्थापन स्थान
1.	बांसवाडा	डॉ० वर्तिका जैन, श्री महावीर लाल जैन, महावीर डिस्पेन्सरी पाला रोड नई आबादी बांसवाडा	17.04.1991	सामान्य	F	मु० चिकि० एवं स्वा० अधिकारी बांसवाडा के अधीन
2		डॉ० धर्मिष्ठा मईडा पुत्र श्री दिनेश मईडा, 6/185 सुभाष नगर कॉलेज रोड, बांसवाडा	25.12.1992	एसटी	M	
3	जालौर	डॉ० अर्जुनराम पुत्र श्री माजीराम, गांव डबाल तहसील सांचोर जिला जालौर	04.04.1989		M	मु० चिकि० एवं स्वा० अधिकारी जालौर के अधीन
4		डॉ० सुरेन्द्रसिंह पुत्र श्री मधुन्द्रकुमार, 17/635 चौपासनी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर	30.07.1988		M	
5		डॉ० सरेश कुमार बिश्नोई पुत्र श्री स.वलाराम बिश्नोई, 29 थली काबेरा, करडा तहसील रानीवाडा, जिला जालौर	30.08.1990		M	


(Handwritten signature)

6	हनुमानगढ	डॉ० अंकित लडढा पुत्र श्री गोविन्द लडढा	12.02.1990		M	मु० चिकि० एवं स्वा० अधिकारी हनुमानगढ के अधीन
7		डॉ० राजबाला पुत्री श्री राम	03.10.1991		F	
8		डॉ० इन्द्रजीत पुत्र श्री जगदीश प्रसाद	16.07.1989		M	
9		डॉ० मन्जू चौधरी पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद	05.05.1987		F	
10	श्रीगंगानगर	डॉ० जानकीनन्दन पुत्र श्री रामकिशोर अग्रवाल	02.08.1991	सामान्य	M	मु० चिकि० एवं स्वा० अधिकारी श्रीगंगानगर के अधीन
11		डॉ० शिल्पा छाबडा पुत्र श्री चेतन कुमार छाबडा	23.04.1988		F	
12		डॉ० आहना गुप्ता पुत्र श्री मोहित गुप्ता	26.10.1995	सामान्य	F	
13		डॉ० अतुल बंसल पुत्र श्री राजेन्द्र बंसल	09.01.1988		M	
14	बीकानेर	डॉ० जगदीश स्वामी	17.12.1990		M	मु० चिकि० एवं स्वा० अधिकारी बीकानेर के अधीन
15		डॉ० वेद प्रकाश शर्मा	26.11.1988		M	
16		डॉ० बजरंगलाल सियाग	22.06.1989		M	
17		डॉ० किसनदास बिठ्ठू	01.01.1992		M	
18		डॉ० आशीष मित्तल	17.11.1990		M	
19		डॉ० सुरेन्द्र सिंह	15.06.1988		M	
20		डॉ० आत्माराम नागर	15.08.1987		M	
21		डॉ० सुभाष कुमार	08.06.1989		M	
22	झुन्झुनूं	डॉ० आकाश दनेवा पुत्र श्री प्रताप सिंह दनेवा	30.09.1990		M	मु० चिकि० एवं स्वा० अधिकारी झुन्झुनूं के अधीन
23		डॉ० अनिल कुमार पुत्र श्री गुलझारी लाल	02.07.1990		M	
24		डॉ० मनीषा कुमारी पुत्री श्री बृजलाल ढाका	30.07.1993		F	
25		डॉ० अर्चना सैनी श्री कैलाश चन्द्र सैनी	17.09.1987		F	
26	जैसलमेर	डॉ० पवन कुमार पुत्र श्री किशन कुमार	21.08.1990	ओबीसी	M	मु० चिकि० एवं स्वा० अधिकारी जैसलमेर के अधीन
27		डॉ० मनोज कुमार कुमावत पुत्र श्री श्री ग्यारसीलाल कुमावत	15.07.1993	ओबीसी	M	

(Handwritten signature)

28	प्रतापगढ	डॉ० राकेश सिंह पुत्र श्री प्रभुदयाल गुर्जर	26.01.1992		M	मु० चिकि० एवं स्वा० अधिकारी प्रतापगढ के अधीन
29	सिरोही	डॉ० किरण पोसवाल	01.04.1991		F	मु० चिकि० एवं स्वा० अधिकारी सिरोही के अधीन
30	बून्दी	डॉ० सूर्य प्रकाश कलवार पुत्र श्री किशन लाल कलवार	19.05.1988		M	मु० चिकि० एवं स्वा० अधिकारी बून्दी के अधीन

शेष शर्तें शासन संयुक्त सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक प.1(1)/चि.स्वा./ग्रुप-2/2014 दिनांक 04/10/14 के अनुसार रहेगी।
नोट :- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, संबंधित को लेख है कि अभ्यर्थी के कार्यग्रहण के समय अनिवार्य रूप से डिग्री आरएमसी का रजिस्ट्रेशन व अन्य प्रमाण पत्र की जांच करें तथा उपरोक्त अनुमोदन में जिन अभ्यर्थियों के प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन व चिकित्सा अधिकारी (दन्त) है तो उनको कार्यग्रहण नहीं करावें।



निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : राजपत्रित/एटी/प035/2017/135

दिनांक : 19/04/2017

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. निजि सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. संभागीय आयुक्त, संबंधित।
4. जिला कलक्टर, संबंधित।
5. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2), विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-संबंधित।
7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सम्बन्धित को भेजकर लेख है कि उक्त चयनित चिकित्सक की कार्यग्रहण की सूचना मय पदस्थापन स्थान के 03 दिवस में अधो-हस्ताक्षरकर्ता को भिजवाना सुनिश्चित करें।
8. प्रभारी, कम्प्यूटर सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को आज ही विभाग की वेबसाइट पर अवलोड करावें।
9. निजि/आदेश पत्रावली।


निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।